न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2022/189

दायरा तिथि : 13.12.2021

आदेश तिथि : 12-09-22

प्रार्थी :–
श्री नरेन्द्रसिंह पुत्र मोतीसिंह जाति राजपूत
निवासी दूदनी तहसील बाली

ब ना म

अप्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये
(भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत राजकीय भूमि मे से रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांक 12-09-22

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम 68 प्रस्तुत कर स्वयं की धारित सहखातेदारी भूमि मौजा वरावल तहसील बाली के खसरा नंबर 5 रकबा 0.6100 हैक्टर किस्म बारानी दोयम मे आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवाय चक भूमि मौजा मोरीबेडा स्टेशन के खसरा नंबर 1121, 1121 रकबा क्रमशः 1.2600 हैक्टर, 0.2100 हैक्टर प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शे में नीले रंग से दर्शित मार्ग से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02-03-2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ. निरीक्षक, बेडा ने जरिये पत्रांक : राजस्व/2022/2158 दिनांक 18.07.2022 से रेकर्ड व मौका स्थिति की जांच कर रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. ग्राम वरावल तहसील बाली के खसरा नंबर 5 रकबा 0.6100 हैक्टर भूमि किस्म बारानी सोयम की भूमि श्री नरेन्द्रसिंह पुत्र मोतीसिंह हि. 1/4, कुलदीपसिंह पुत्र मदनसिंह हि. 1/12 वगेरा जातिगण राजपूत निवासीगण छोटी दूदनी के नाम से संयुक्त खातेदारी की भूमि दर्ज है। खातेदार की धारित भूमि में आवागमन के लिये प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ते का विकल्प नहीं है। वर्तमान में आवेदक खातेदारी भूमि में आने जाने के लिये ग्राम वरावल से गोचर व गै.मु. वाली में से आवागमन करते है लेकिन उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है तथा न ही दर्ज होने योग्य है।
2. रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानूसार है :–

क्र. स.	ग्राम व खसरा नंबर	रकबा	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	मोरीबेडा स्टेशन 1349/1122	0.1126 हैक्टर	बा.सो.	75 X 9 = 675 वर्गमीटर	राजकीय सिवाय चक भूमि
2	मोरीबेडा स्टेशन 1121	0.21 हैक्टर	गै.मु. मगरी	21 X 2÷1/2 = 21 वर्गमीटर	राजकीय सिवाय चक भूमि
3	मोरीबेडा स्टेशन 1120	1.26 हैक्टर	बा.सो.	68 X 9 = 612 वर्गमीटर	राजकीय सिवाय चक भूमि
4	वरावल 4	0.69 हैक्टर	गै.मु. मगरी	82 X 9 = 738 वर्गमीटर	राजकीय सिवाय चक भूमि
				कुल रकबा 2046 वर्गमीटर	

3. यह है कि प्रस्तावित भूमि ग्राम मोरीबेडा स्टेशन की डी.एल.सी.दर 90059/– रूपये प्रति हैक्टर व ग्राम वरावल की डी.एल.सी.दर 72450/– रूपये प्रति हैक्टर की है ।
4. प्रस्तावित रास्ते की भूमि मे कोई भी वृक्ष या पक्का निर्माण इत्यादि नही है। अतः अन्य कोई भी क्षति नही होगी तथा प्रस्तावित रास्ते के क्षैत्रफल मे से अन्य क्षति यथा वृक्ष, पक्का निर्माण कार्य इत्यादि नही है।

पेज लगातार.....

उपखण्ड अधिकारी बाली जिला-पाली

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2022/189

अनवान नरेन्द्रसिंह बनाम राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियमम, 1955

प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बावत अनुशंषा की गई। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण मे प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात जाहिर हैं कि प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये वर्तमान में कोई रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है, तथा प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त कोई विकल्प मौजूद नहीं हैं। अतः तहसीलदार बाली के कार्यालय तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बेडा ने जरिये पत्रांक : राजस्व/2022/2158 दिनांक 18.07.2022 के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमांक :प.3(52)राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि मौजा वरावल तहसील बाली के खसरा नंबर 5 रकबा 0.6100 हैक्टर किस्म बारानी दोयम में आवागमन हेतु राजकीय सिवाय चक भूमि मौजा मोरीबेडा स्टेशन के खसरा नंबर 1349/1122, 1121, 1120 रकबा क्रमशः 0.1126 हैक्टर, 0.2100 हैक्टर, 1. 2600 हैक्टर व राजकीय सिवाय चक भूमि मौजा वरावल के खसरा नंबर 4 रकबा 0.69 हैक्टर मे से **कुल रकबा 2046** वर्गमीटर रास्ता नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप रास्ता उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते है। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

ग्राम व खसरा नंबर	रकबा	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि मोरीबेडा स्टेशन डी.एल.सी. दर 90059/– व वरावल डी.एल.सी. दर 72450/– प्रति हैक्टेयर की दर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
मोरीबेडा स्टेशन 1349/1122	0.1126 हैक्टर	75 X 9 = 675 वर्गमीटर	9.1	6143 X2=12286	राजकीय सिवायचक भूमि
मोरीबेडा स्टेशन 1121	0.21 हैक्टर	21 X 2÷1/2 = 21 वर्गमीटर	9.1	191 X2=382	राजकीय सिवायचक भूमि
मोरीबेडा स्टेशन 1120	1.26 हैक्टर	68 X 9 = 612 वर्गमीटर	9.1	5570 X2=11140	राजकीय सिवायचक भूमि
वरावल 4	0.69 हैक्टर	82 X 9 = 738 वर्गमीटर	7.25	5350X2=10700	राजकीय सिवायचक भूमि
		कुल रकवा 2046 वर्गमीटर		कुल राशि 34508/–	

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार 34508/– (अक्षरे चौतीस हजार पांच सौ आठ रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राज्य कोष मे जमा कराये जावेंगे। तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
पदेन सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

पत्रांक : कोर्ट/2022/3370-74 दिनांक : 12-09-22

प्रतिलिपि पालनार्थ :–

1. तहसीलदार बाली
2. भू.अ.निरीक्षक बेडा
3. पटवारी हल्का दूदनी
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्री नरेन्द्रसिंह पुत्र मोतीसिंह जाति राजपूत निवासी दूदनी तहसील बाली को सूचनार्थ प्रेषित हैं।

पदेन सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी
बाली,जिला - पाली (राज.)

Scanned by CamScanner